विषयः– प्रस्तावना, संदेश श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान एवंम् राजस्थान पुलिस प्राथमिकतायें वर्ष 2019

Content

समय : 90 min

1. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में–
   क्रमांक–2894–2967 दिनांक–05.02.2019
2. राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएँ वर्ष 2019 (संदेश एवं प्राथमिकताएँ)

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा
राजस्थान

स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो
क्र.सं. 2884-2967

दि. 5.02.2019

दिनांक
निदेशक
उप महानिरीक्षक
पु. अधीक्षक
अति. पुलिस अधीक्षक
शाखा

समस्त पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान पुलिस।

विषय: पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्ष 2019 के लिए अपराध नियंत्रण एवं प्रशासनिक प्राथमिकताएं जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा इन प्राथमिकताओं के क्रियान्वन हेतु एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से आदेश / परिपत्र जारी किए हैं। किसी विशेष कार्य के सम्बन्ध में संगठित प्रयासों से लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष अभियान भी पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित किए गए हैं।

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान एवं उच्चाधिकारियों द्वारा जिला / यूनिटों के अधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान अनुभव किया गया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में अधीनस्थ पुलिसकर्मियों में जानकारी का अभाव है। राजस्थान पुलिस द्वारा स्वयं के लिए वर्ष 2019 के लिए निर्धारित प्राथमिकताएं एवं विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभाग के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों एवं इन्हें लागू करने की योजना का पूर्ण ज्ञान विभाग के प्रत्येक कर्मी को होना इसकी आधारशिला है।

वर्तमान में अनुभव की गई कमियों को दूर कर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि जिला / यूनिट में पदस्थापित अधिकारी निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें -

1. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को होना सुनिश्चित करने के लिए संपर्क सभा, जिला स्तरीय video conference, अपराध गोष्ठी आदि नियमित रूप से आयोजित करें।
2. यह सुनिश्चित करें कि सभी महत्वपूर्ण निर्देशों की एक प्रति जिला / यूनिट में प्रत्येक पुलिस कार्यालय के notice board पर चस्पा की गई है।
3. यह सुनिश्चित करें कि निर्देश प्राप्त होने के एक सप्ताह तक उन्हें पुलिस थानों / पुलिस लाइन में नियमित रूप से roll-call में पढ़कर सुनाया जाए।
4. अधीनस्थ पुलिसकर्मियों में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों तथा विधि एवं प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों का ज्ञान एवं सूचना के स्तर का परीक्षण करने के लिए quiz competition आयोजित करें, जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत किया जाए।

5. पुलिस अधिकारी जब भी अपने क्षेत्र में भ्रमण पर जाएं तो अधीनस्थ कार्यालयों / पुलिस थानों / पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर उन्हें मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा उन्हें लागू करने की योजना से अवगत कराएं।

राजस्थान पुलिस के प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह अपने अधीनस्थ प्रत्येक कर्मी को नियमित रूप से उक्तानुसार निर्देशों से भली-भाँती सूचित कराते हुए उसे अपना इष्टतम प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके बिना पुलिस विभाग के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है।

अतः सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में उक्त निर्देशों की प्रभावी रूप से पालना सुनिश्चित कराएँ। भविष्य में उच्चाधिकारियों के भ्रमण एवं उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से वार्ता के दौरान उनमें ज्ञान की कमी अनुभव हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों की भी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

सद्भावी,

05/2/19

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैं -

1. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान को सादर।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
4. उप-महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, राजस्थान को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान की सूचना हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

05/2/19

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

राजस्थान पुलिस

प्राथमिकताएँ
वर्ष 2019

संदेश

प्रिय साथियों,

गत कुछ वर्षों से राजस्थान पुलिस द्वारा अपने दैनन्दिनी कार्यों का निष्पादन करते हुए और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य क्षेत्रों की प्राथमिकताएं प्रदान की जाती रही हैं।

इसी क्रम में वर्ष 2019 में राजस्थान पुलिस प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम भाग अपराध नियंत्रण एवं द्वितीय भाग पुलिस प्रशासन से संबंधित है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप राजस्थान पुलिस के सूत्र ''आमजन में विश्वास–अपराधियों में भय'' को मूर्तरूप में परिवर्तित करने के लिए वर्ष 2019 की पुलिस प्राथमिकताओं की बेहतर कियान्विति में अधिकतम सहयोग प्रदान कर जनसाधारण की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल होंगे।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएं वर्ष 2019

अपराध नियन्त्रण प्राथमिकताएँ

1. पुलिस को जनमित्र बनाना, जनता से सकारात्मक संवाद स्थापित करना तथा जन सामान्य की समस्याओं का समयबद्ध समाधान। पृ. 1
2. गम्भीर/संगठित अपराधों पर हार्डकोर/केस ऑफिसर इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत प्रभावी नियन्त्रण। पृ. 4
3. महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं त्वरित अनुसंधान। पृ. 6
4. सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाना। पृ. 9
5. वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। पृ. 12

प्रशासनिक प्राथमिकताएँ

6. आर्थिक एवं साईबर अपराध के प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस प्रशिक्षण। पृ. 13
7. बीट प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं इसे अधिक प्रभावी बनाने में I.T. (सूचना प्रोद्यौगिकी) का समावेश। पृ. 14
8. पुलिस कार्मिकों व उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु सतत् व समन्वित प्रयास करना। पृ. 15
9. मालखाना में विशेषतः पुराने जब्ताशुदा माल/वाहनों का निस्तारण। पृ. 17
10. पुलिस परिसरों का सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना। पृ. 19

राजस्थान पुलिस वार्षिक प्राथमिकताएँ वर्ष 2019 के क्रियान्वन हेतु कार्य योजना

अपराध नियन्त्रण प्राथमिकताएँ

1. पुलिस को जनमित्र बनाना, जनता से सकारात्मक संवाद स्थापित करना तथा जन सामान्य की समस्याओं का समयबद्ध समाधान।

- स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना
  - विद्यालयी छात्र–छात्राओं में समाज के शेष सदस्यों के प्रति सेवा–भाव के साथ व्यापक नागरिक बोध तथा सामाजिक प्रतिबद्धता के संस्कार की स्थापना।
  - भावी पीढी को जिम्मेदार एवं कानून की पालना करने वाले नागरिक बनाने के उद्देश्य से स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट कार्यक्रम का माह मार्च के अन्त तक शुभारंभ एवं नियमित समीक्षा करना।
- सी.एल.जी.
  - वर्ष 2019 के लिए सी.एल.जी. का पुनर्गठन व नियमित बैठकों का आयोजना करना।
  - नागरिकों की सभी समितियों में समाज के सभी वर्गों के संतुलित प्रतिनिधित्व के प्रयास, विशेषकर महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नैतिक चरित्र वाले स्थानीय लोगों को सम्मिलित करना।

  - आमजन व पुलिस में आपसी सामंजस्य एवं संवाद स्थापित करने के प्रयास करना।
  - सी.एल.जी. के सदस्यों का सत्यापन थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी द्वारा करवाना।
- पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम
  - जनता से सकारात्मक संवाद स्थापित करने के लिए और जन सामान्य की समस्याओं का समयबद्व समाधान करने के लिए पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन व सुदृढ़ीकरण।
  - आम जनता का विश्वास व सद्भावना अर्जित करने के लिए पुलिस एवं जनता के मध्य निरन्तर सम्पर्क एवं संवाद स्थापित करना।
  - विभिन्न बैठकों में संज्ञान में आये विभिन्न मुद्दों पर यथा संभव शीघ्र कार्रवाई कर निराकरण करना।
  - नागरिकगण की अन्य समितियों यथा शांति समिति, मौहल्ला समिति एवं नागरिक समिति आदि का पुनर्गठन कर नियमित बैठक आयोजित करना।
- परामर्श
  - घरेलू विवाद, अन्य साधारण प्रकृति के विवादों का सी.एल.जी. के माध्यम से स्थाई समाधान।
  - समाज को विवादों से बचाने, अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा समाज में शान्ति व्यवस्था

स्थापित करने के लिए आपसी विवादों का हल करने हेतु वैकल्पिक प्रक्रियाओं का अनुसरण।

- **नागरिकगण के साथ मधुर व्यवहार रखना।**
- **जन–मित्र योजना लागू करना।**

2. **गम्भीर/संगठित अपराधों पर हार्डकोर/केस ऑफिसर इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत प्रभावी नियन्त्रण।**

- अनुमोदित हार्डकोर अपराधियों के विरूद्ध आमजन से प्राप्त रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना।
- अनुमोदित हार्डकोर अपराधियों की लम्बित प्रकरणों में गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाना।
- अनुमोदित हार्डकोर अपराधियों के विरूद्ध दर्ज समस्त प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर प्रभावी कार्रवाई किया जाना।
- अपराधी के जमानत आवेदन का वैधानिक रूप से पूर्ण रिकार्ड संकलित कर विरोध करना।
- अपराधी यदि जमानत पर हो तो उस पर निगरानी तथा उसके विरूद्ध प्रभावी इंसदादी कार्रवाई की जाकर पाबन्द कराना। यदि जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो जमानत निरस्त करवाने हेतु कार्रवाई करना।
- गम्भीर/संगठित अपराधियों के विरूद्ध N.S.A/ राजपासा इत्यादि अधिनियमों के अन्तर्गत उचित कार्रवाई किया जाना।
- गम्भीर/संगठित अपराधियों के संबंध में जिलें में स्थित सभी कारागृहों पर प्रभावी आसूचना संकलन किया जाना।

- गम्भीर/संगठित अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु अपराध में शामिल अपराधियों के निवास स्थान के पुलिस थानें द्वारा अपराधी की गतिविधियों पर सतत् निगरानी सुनिश्चित किया जाना।
- हार्डकोर अपराधियों के चयन, अनुमोदन एवं निगरानी के संबंध में रेंज पुलिस महानिरीक्षकगण/पुलिस आयुक्तगण व जिला पुलिस अधीक्षकगण/पुलिस उपायुक्तगण को प्रभावी कार्रवाई हेतु समय–समय पर निर्देश जारी करना।
- **केस ऑफिसर योजना**
  - योजना के अन्तर्गत चयनित प्रकरणों तथा पेशेवर एवं आदतन अपराधियों की समीक्षा तथा अनुचित प्रकरणों को हटाकर नए उचित प्रकरण जोड़ना।
  - योजना के अन्तर्गत केस ऑफिसर के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल तैयार कर जिला स्तर पर प्रशिक्षण एवं orientation कार्यक्रम आयोजित कराना।
  - चयनित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए पुलिस वेबसाइट पर मॉड्यूल तैयार कर कैलेंडर एवं एलर्ट की व्यवस्था लागू करना।
  - प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई तथा सफलता की दृष्टि से न्यायिक अधिकारियों से समन्वय एवं आवश्यक सहयोग हेतु नियमित बैठकों की व्यवस्था लागू करना।

3 **महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं त्वरित अनुसंधान।**

बालक/बालिकाओं के लिए

- पंजीकृत/गैर पंजीकृत शेल्टर होम का नियमित सर्वे व निरीक्षण।
- गुमशुदा बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी एवं भिक्षावृती उन्मूलन हेतु विशेष अभियान आयोजित करना।
- राज्य स्तर पर बालश्रम उन्मूलन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।
- बाल तस्करी की रोकथाम हेतु सम्भावित स्थानों पर समय–समय पर औचक निरीक्षण एवं कार्रवाई।
- मुखबिर तन्त्र को और मजबूत बनाना।
- NGOs के सहयोग से समस्त रेंज के AHTU, CWPO, SJPU के पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण।
- बालश्रम/भिक्षावृति एवं बालतस्करी ग्रसित क्षेत्रों के थानों को बालमित्र थाना के रूप में विकसित करना।

महिलाओं/वृद्धजनों एवं कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए

- **जागरूकता**–महिलाओं/बालकों/अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध होने वाले अत्याचार की रोकथाम के सम्बंध में, विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों पर, पूर्व से संचालित बीट सिस्टम, कम्यूनिटी पुलीसिंग एवं मीडिया के माध्यम से जागरूकता।

  - प्रतिकूल लिंगानुपात एवं भ्रूण हत्या
  - सामाजिक कुरीतियां यथा नाता प्रथा, डायन प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, मैला ढ़ोने की प्रथा, छुआछूत, दहेज प्रथा, आदि।
  - महिलाओं व कमज़ोर वर्गों सेसंबंधित विभिन्न विधिक प्रावधनों की जानकारी।
- **नवाचार**–विभिन्न एजेन्सियों के सहयोग से नवीन एवं गैर–परपंरागत उपायों से कार्रवाई
  - Know your Student - Know your Police (KYS-KYP)
  - छात्रा आत्मरक्षा कौशल योजना
  - Whatsapp helpline, महिला गरिमा हैल्प लाईन व One Stop Crisis Centre for Women (OSCCW) का संचालन
- **सुरक्षा उपायों का प्रोत्साहन एवं उनमें वृद्धि**
  - शैक्षणिक संस्थानों के सामने तथा भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाकर अभय कमाण्ड सेन्टर से जोड़ना।
  - बसों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना।
  - संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हीत कर सादा वस्त्रों में पुलिस कार्मिक तैनात करना तथा मुखबीर व्यवस्था को पुर्नजीवित करना।

- **विधि में स्थापित प्रक्रियाओं का प्रवर्तन**
  - परिवाद प्राप्त होने पर उसका अविलम्ब पंजिकरण तथा त्वरित एवं सरल कार्रवाई।
  - नवीन एवं संशोधित विधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आपराधिक प्रकरणों का त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी अनुसंधान नियत अवधि में पूर्ण करना।
  - अनुसंधान में वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग एवं सुपरवाइज़री अधिकारियों द्वारा नज़दीकी पर्यवेक्षण।
  - जिला एवं रेंज स्तर पर प्रकरणों की मासिक समीक्षा तथा अनुसंधान अधिकारियों को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान करना।
  - उपयुक्त प्रकरणों को केस आफीसर स्कीम में लिया जाकर ट्रायल शीघ्र पूर्ण करवाकर आरोपी को सज़ा दिलवाने के प्रयास।
  - आरोपी को सज़ा होने पर उसका व्यापक प्रचार–प्रसार कर अपराधियों में भय व आमजन में कानून में आस्था का संदेश।

9 मालखाना में विशेषतः पुराने जब्तशुदा माल/वाहनों का निस्तारण।

- पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश क्र. 6504–55 दिनांक 18.05.2016 का अनुसरण एवं पालाना।
- थाने के मालखाना रजिस्टर में थाना स्तर पर प्रविष्टियों को अद्यतन करना।
- थाने के मालखाना रजिस्टर के आधार पर थाने में पैण्डिंग मालखाना आइटम की शीर्षकवार सूचियां तैयार करना।
- पैण्डिंग मालखाना आइटम्स् की थाना स्तर पर सूचियों से मालखाना का भौतिक सत्यापन कर मिलान करना व कमी/बेशी आइटम्स् की सूचियां तैयार करना।
- थाना स्तर पर की गयी उपरोक्त कार्रवाई का वृत्ताधिकारी द्वारा नमूना सर्वेक्षण कर सत्यापन करना व जिला पुलिस अधीक्षक को अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- न्यायालय से फैसला शुदा आपराधिक प्रकरणों के थाने पर पैण्डिंग माल का न्यायालय के आदेश के अनुसार निस्तारण करना। यदि मुकदमें के निर्णय में मालखाना निस्तारण का आदेश नहीं दिया गया हो तो न्याालय से निस्तारण आदेश प्राप्त कर निस्तारण करना।
- न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के

थाने पर पैण्डिंग मालखाना आइटम्स् को न्यायालय, के मालखाना में जमा करना।

- एनडीपीएस एवं आबकारी अधिनियम में जब्तशुदा मालखाना आइटम्स् को ऐसे मादक पदार्थों के लिए विहित प्रकिया के अनुसार न्यायालय से आदेश प्राप्त कर निस्तारण/नष्ट कराना।
- Unclaimed वाहनों के निस्तारण के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन कर उद्घोषणा जारी कराना व नीलामी प्रकिया से निस्तारण करना।
- आपराधिक प्रकरणों में जब्त वाहनों व अन्य उपयुक्त items का ट्रायल के दौरान ही धारा 451 एवं 459 दं. प्र. सं. के अनुसार न्यायालय के आदेश द्वारा निस्तारण करना।

10 **पुलिस परिसरों का सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना।**

- वर्ष 2019 में निर्धारित प्राथमिकताओं के अन्तर्गत अंकित पुलिस थाना/पुलिस लाईन व पुलिस कार्यालय का सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता बनाये रखने हेतु उक्त कार्यालयों में स्थित पुराने भवनों की समय–समय पर मरम्मत की व्यवस्था।
- पुलिस परिसरों के सौन्दर्यीकरण हेतु पेड़–पौधे लगाना व नियमित रूप से पानी व रख–रखाव की व्यवस्था।
- समस्त पुलिस प्रशासनिक भवनों में रंग–रोगन, रूट इन्डीकेटर, दिशा/शाखा/कार्यालय सूचक पट्टिका/बोर्ड लगाने की व्यवस्था।
- पुलिस प्रशासनिक व आवासीय भवनों में स्थित शौचालय/मूत्रालय की नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था।
- पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजन के बेहतर स्वास्थ्य हेतु रिजर्व पुलिस लाईन/बटालियन स्थित आवासीय कॉलोनियों में पार्क एवं खुले जिम की स्थापना।
- पुलिस कॉलोनियों में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण।
- पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के कल्याणार्थ रिजर्व पुलिस लाईन/बटालियन मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

राजस्थान पुलिस आचार संहिता

- मेरे काम में सभी जाति, धर्म एवं वर्ग समान है।
- विनम्रता मेरी ताकत है।
- ईमानदारी और पारदर्शिता मुझे विश्वसनीय बनाते हैं।
- अपराधों की रोकथाम कर जनता की सेवा करना मेरा परम कर्त्तव्य है।
- समाज में प्रतिष्ठा ही मेरी सबसे बड़ी पूँजी है।
- मैं राजस्थान पुलिस का गौरव हूँ तथा कभी इसे कम नहीं होने दूँगा।

4. सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाना।

- सड़क दुर्घटनाओं में अधिक मौतें होने वाली सडकों पर दुर्घटनाएं होने के कारणों एवं दुर्घटना सम्भावित चिन्हित स्थलों (Black Spot) का विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण करना तथा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभाग यथा–परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं स्थानीय निकाय इत्यादि से समन्वय कर सामूहिक प्रयास द्वारा सुधार करवाना।
- एम.वी. एक्ट, 1989 की विभिन्न धाराओं में अभियान चलाया जाना, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, ओवरलोडिंग वाहन चालकों के विरूद्ध, अवयस्कों (18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों) द्वारा वाहन चलाने के विरूद्ध, हाईवे पर अवैध पार्किंग करने वालों के विरूद्ध, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध, बिना लाईसैंस वाहन चलाने वालों के विरूद्ध, बिना हेलमेट के वाहन चलाने / वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग करने वाले चालकों, बिना सीट बैल्ट लाये वाहन चालकों के विरूद्ध व ओवर स्पीड से वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करना।
- ओवर स्पीड रोकने हेतु जिलों में आवंटित उपकरणों का पूर्ण उपयोग कर तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई।
- राजस्थान राज्य में तेज गति से वाहन चालकों पर लगाम लगाने के उद्धेश्य से जयपुर से उदयपुर तक नेशनल हाईवे पर ITMS योजना के तहत ASDC & ANPR Cameras लगाये जाना।

- बालवाहिनी को नियमों के विरूद्ध चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई तथा नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के विरूद्ध अभियान एवं काउंसलिंग करवाना।
- सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने हेतु थानेवार लक्ष्य निर्धारित करना।
- सड़क दुर्घटना में सहायता करने वाले Good Samaritan को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार की अधिसूचना की पालना में राज्य के प्रत्येक थानों में बोर्ड लगाना।
- Capacity Building के तहत यातायात कर्मियों को प्रशिक्षण दिलवाना एवं यातायात कर्मियों को नवीन एवं तकनीकी संसाधन यथा ब्रेथ ऐनेलाईजर, बॉडी वोर्न कैमरा, स्पीड राडार गन, इन्टरसेप्टर व हाईवे मोबाईल आदि उपलब्ध करवाये जाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य में दिनांक 15 जनवरी से 31 मार्च, 2019 तक दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में कमी लाने हेतु एम.वी. एक्ट के तहत विशेष अभियानों का आयोजन।
- जागरूकता अभियान
  - सिनेमा घरों में लघु फिल्म चलाकर, नुक्कड़ नाटकों द्वारा, विश्वविधालय / स्कूलों में छात्र / छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देना एवं नेशनल / स्टेट हाईवे तथा सार्वजनिक स्थानों पर पम्पलेटों पोस्टर इत्यादि द्वारा प्रचार–प्रसार।

  - ट्रेक्टर ट्रॉली / ऊंट गाडियों पर रिफ्लेक्टर लगाना, वाहनों को आम सड़क पर खड़ा करने व हाईवे पर अवैध रूप से पार्किंग करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई।
  - हेलमेट पहननें की समझाईश करना।

5 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना।

- विभिन्न स्तर पर वांछित अपराधियों की सक्रियता के आधार पर उनका चिन्हीकरण (Top-10) तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु संगठित प्रयास करना।
- वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयासों का Updated रिकॉर्ड तथा अपराधी का dossier संधारित करना।
- फरार अपराधी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिये विवश करने हेतु विधिक प्रावधान, यथा धारा 82, 83, 446 CrPC आदि का प्रभावी उपयोग करना।
- वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु आसूचना संकलन में बीट कांस्टेबल, सीएलजी सदस्यों तथा आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- संगीन प्रकरणों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु इनाम घोषित कराना।
- वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जिला एवं राज्य स्तर की विशेष टीम गठित करना तथा अंतर–जिला एवं अंतर–राज्यीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- सम्मन / वारंटों की तामील के संबंध में जारी नवीनतम परिपत्र क्र. 3435–3512 दि. 11.02.2019 के अनुसार वांछित अपराधियों के रिकॉर्ड का अद्यतन एवं उसमें निर्धारित प्रक्रिया सख्ती से लागू करना।

प्रशासनिक प्राथमिकताएँ

6 आर्थिक एवं साईबर अपराध के प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस प्रशिक्षण।

- देश की प्रधान प्रशिक्षण संस्थानों में आर्थिक अपराध एवं साईबर क्राईम से संबंधित प्रशिक्षण के लिये विभिन्न स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में साईबर क्राईम अनुसंधान व आर्थिक अपराध अनुसंधान से संबंधित प्रशिक्षण का मासिक आयोजन।
- वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी हेतु SEBI, ED, बैंक, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़, बीमा कम्पनी, आदि के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशिक्षण।
- तकनीकी विषयों पर एमएसपी, आईएसपी व ई–कॉमर्स कम्पनियों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण।
- महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा उनके रेंज/आयुक्तालय तथा जिलों में स्वयं के निर्देशन में स. उ.नि. पद तक के पुलिस कर्मियों का साईबर क्राईम व आर्थिक अपराध अनुसंधान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान पोस्टर–पम्पलेटस का वितरण, स्कूलों/महाविधालयों एवं व्यावसायिक संस्थानों में सेमिनार/व्याख्यान का आयोजन व इस कार्य में Print & Electronic Media की सेवाओं का उपयोग।

7 बीट प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं इसे अधिक प्रभावी बनाने में I.T. (सूचना प्रोद्यौगिकी) का समावेश।

- बीट बुक का digitization करना।
- बीट क्षेत्रों का पुनर्गठन एवं बीट कांस्टेबल गण को पुनरावटंन।
- बीट क्षेत्र में बीट कानि. की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये थाने में ड्यूटी की रोस्टर–प्रणाली लागू करना।
- बीट कानि. को सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना तथा उसके क्षेत्र में सक्रिय WhatsApp groups में जोड़ना।
- बीट कानि. की कार्यक्षमता का विकास।
- बीट कानि. के कार्यों के लिए वस्तुपरक प्रदर्शन मापन प्रक्रिया (Objective Performance Measurement System) विकसित कर इस कार्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना।

8 पुलिस कार्मिकों व उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु सतत् व समन्वित प्रयास करना।

- कानिस्टेबल पद पर नियुक्ति सम्बन्धित सुयोग्य प्रकरणों का आवेदन प्राप्ति के तीन माह की अवधि में निस्तारण किया जाना।
- मन्त्रालयिक कर्मचारियों की लम्बित विभागीय पदौन्नतियों की कार्रवाई माह अप्रेल तक पूर्ण कराया जाना एवं इनसे उत्पन्न रिक्तियों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाहने बाबत सुयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देना।
- मन्त्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति बाबत लम्बित आवेदन पत्रों की प्रतीक्षा सूची की प्रत्येक माह के अन्त में समीक्षा करना एवं दो वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणों को 15 दिवस की अवधि में गृह विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु भिजवाना।
- सेवा के दौरान मृत्यु पर आयोजना एवं कल्याण शाखा के पत्रांक 2491 दिनांक 04.05.2018 के अनुरूप देय परिलाभों के भुगतान हेतु कार्रवाई अविलम्ब प्रस्तावित करना।
- सेवानिवृति पर आयोजना एवं कल्याण शाखा के पत्रांक 2490 दिनांक 04.05.2018 के अनुरूप देय परिलाभों के भुगतान हेतु कार्रवाई अविलम्ब प्रस्तावित करना।
- सेवानिवृत्ति पर देय परिलाभों पेंशन, बीमा, जी.पी. एफ. उपार्जित अवकाश, ग्रेच्यूटी आदि के भुगतान,

इत्यादि की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना।

- सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/विशेष दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित राशि के भुगतान हेतु कार्रवाई 30 दिवस की अवधि में प्रस्तावित करना।
- समस्त जिला/यूनिटों में कल्याण अधिकारी के संबंध में जारी स्थाई आदेश संख्या 24/2018 दिनांक 15.10.2018 की पालना सुनिश्चित करना।
- पुलिसकर्मियों को विभिन्न रोगों से बचाव हेतु स्वास्थ्य, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य उन्नयन के उपाए लागू कराना।
- पुलिस कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को उच्च शिक्षा/कोर्स में प्रवेश हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना।
- अमेरिका के श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के इच्छुक पुलिसकर्मियों के मेधावी छात्र/छात्राओं को Feeder Scholarship के माध्यम से तैयारी कराना।
- पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को बचत की ओर रूझान में वृद्धि हेतु कार्यशालाएं आयोजित कराना तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में वित्तीय प्रबंधन को सम्मिलित करना।